न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, अजमेर

(पीठासीन अधिकारीः—श्री बी0एल0मेहरड़ा, आर0ए0एस0)

अपील संख्याः—213/2017/223 (2017/00213)

1. गोपाल पुत्र बंशीदासजी, जाति वैष्णव, निवासी गांव सरमालिया, तहसील ब्यावर जिला अजमेर बहैसियत स्वंय व बहैसियत वारिस काबिज जायदाद बंशीदास वल्द रणछोड़दास, जाति वैष्णव—साधू, निवासी सरमालिया ।
2. धनश्याम वल्द रामप्रसाद,
3. राधेश्याम वल्द रामप्रसाद,
4. श्रीमती गीता बेवा रामप्रसाद,

समस्त जाति वैष्णव—साधू, नि0 सरमालिया, तह0 ब्यावर जिला अजमेर वादी संख्या 2 से 4 बहैसियत स्वंय व बहैसियत वारिस काबिज जायदाद स्व0 रामप्रसाद वल्द रणछोड़दास साधु, नि0 सरमालिया ।

अपीलांटस

बनाम

1. किशनदास वल्द सुखदेव (मृतक) जरिये वारिसानः—
   1/1— श्रीमती कौशल्या पत्नि किशनदास,
   1/2— पंकज पुत्र किशनदास,
   1/3— श्रीमती सुशीला पत्नि महावीर,
   समस्त जाति वैष्णव—साधु, नि0 गांव सरमालिया, तह0 ब्यावर ।
2. पुखराज वल्द सुखदेव (मृतक) जरिये वारिसानः—
   2/1— श्रीमती सुमित्रा बेवा पुखराज, नि0 ग्राम सरमालिया,
   2/2— श्रीमती मनीषा पुत्री पुखराज, पत्नि तरूण, जाति वैष्णव, निवासी बस स्टेण्ड के पास, रास, जिला पाली ।
   2/3— श्रीमती ज्योति पुत्री पुखराज पत्नि महावीर, जाति वैष्णव, निवासी गांव सरमालिया, तह0 ब्यावर, जिला अजमेर ।
   2/4— श्रीमती बीना पुत्री पुखराज पत्नि मनोहर, जाति वैष्णव, निवासी सरमालिया, तह0 ब्यावर ।
   2/5— मनीष पुत्र पुखराज वैष्णव, नि0 सरमालिया, तह0 ब्यावर।
3. पूरणमल पुत्र सुखदेव
   समस्त कौम साधु, नि0 गांव सरमालिया, तह0 ब्यावर, जिला अजमेर ।
4. श्रीमती पारसी बेवा रामेश्वरदास, कौम साधु, नि0 सरमालिया, तह0 ब्यावर जिला अजमेर बहैसियत स्वंय व बहैसियत वारिस काबिज जायदाद स्व0 रामेश्वरदास वल्द रणछोड़दास, जाति साधु, नि0 सरमालिया, तह0 ब्यावर।
5. राजस्थान सरकार जरिये भू—धारक तहसीलदार, ब्यावर जिला अजमेर ।
6. राजस्थान सरकार जरिये उप पंजीयक, ब्यावर ।

रेस्पोडेंटस

अपील अंतर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्ध निर्णय व डिक्री विद्वान सहायक कलक्टर, ब्यावर दिनांक 29.5.2017 अंतर्गत राजस्व वाद संख्या 128/2008 .

उपस्थितः—

1. श्री ज्ञानचंद गदिया, वकील अपीलांटस ।
2. श्री धर्मवीर चौधरी, पैरोकार सरकार रेस्पो0 संख्या 5 व 6.
3. रेस्पो0 संख्या 1 लगायत 4 अनुपस्थित ।

निर्णय

दिनांकः—31.12.2018

1. यह अपील विद्वान सहायक कलक्टर, ब्यावर द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 29.5.2017 के विरूद्ध प्राप्त हुई है।

2. संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि अपीलांटस/वादीगण ने अधी0न्याया0 में वाद अंतर्गत धारा 53, 88, 188 राज0काश्त0अधि0 व सपठित धारा 136 भू—राजस्व अधि0 के तहत प्रस्तुत करवेदन किया कि मौजा ग्राम सरगांव, तह0 ब्यावर में आराजी कृषि भूमियां खसरा नंबर 698 रकबा 1—14—00 जिसके हाल खसरा नंबर 1102रकबा 9 बिस्वा, साबिक खसरा नंबर 706 रकबा 2—11—00 हाल खसरा नंबर 1113 रकबा 2—11—00, खसरा नंबर 707 रकबा 2—08—0 हा खसरा नंबर 1664/1113 रकबा 2—8—00 कुल रकबा 6—13—00 बीघा स्थित है। वादीगण व प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 4 का सजरा वादपत्र में अंकित कर आगे कथन किया कि वादग्रस्त आराजियात वादीगण व प्रतिवादी संख्या 1 से 4 के पूर्वज श्री रणछोड़दास वल्द इन्दरदास, कौम साधु निवासी सरमालिया की खातेदारी व कब्जे काश्त की थी इसी कारण राजस्व अभिलेख जमाबंदी संवत् 1350 फसली में उनका नाम बतौर खातेदार काश्तकार अंकित था । रणछोड़दास के चार पुत्र सुखदे जो प्रतिवादी संख्या 1 से 3 के पिता है, बंशीदास जो कि वादी संख्या 1 के पिता, रामप्राद जो कि वादी संख्या 2 से 4 के पिता व पति है तथा रामेश्वरदास जो कि प्रतिवादी संख्या 4 के पति है । रणछोड़दास की मृत्यु के बाद वादग्रस्त आराजियात उनके चारों पुत्रों के नाम 1/4, 1/4 हिस्से में आई किन्तु वादग्रस्त आराजियात कभी भी विभाजन नहीं हुआ है किन्तु रणछोड़दास व उनकी पत्नि की मृत्यु के बाद वादग्रस्त आराजयात रणछोड़दास के समस्त पुत्रों के नाम दर्ज होनी चाहिये किन्तु सुखदेव बड़ा पुत्र होने के कारण व अन्य भाई अल्पायु होने से उसने राजस्व कर्मचारियों से मिलकर वादग्रस्त आराजी साबिक खसरा नंबर 698 व 7.6 अपने अकेले के नाम दर्ज करवा ली व खसरा नंबर 707 हनुमानदास के नाम चढ़ गई । इसी कारण जमाबंदी संवत् 2016 से 2019 व उसके बाद बनी जमाबंदियों में सुखदेव व हनुमानदास का ही नाम अंकित रहा किन्तु सुखदेव हमेशा यही कहता रहा कि उनका वादग्रस्त आराजियात में 1/4 हिस्सा है व रहेगा, इसी कारण उसने जरिये पंजीत बेचाननामा दिनांक 14.11.1977 को बऐवज प्रतिफल आराजी हाल खसरा नंबर 1102, 1103 व खसरा नंबर 1664/1113 कुल रकबा 4—2—00 में अपना 1/4 हिस्सा ही मानकर अपना 1/4 हिस्सा वादी संख्या 2 से 4 के पति व पिता रामप्राद अपने सगे भाई को बेचान कर दी तथा यह स्वीकार किया कि 1/4 हिस्सा उसके द्वारा बेचान कर दिये जाने से 1/2 हिस्सा का मालिक रामप्रसाद हो गया है जिसका अमल राजस्व अभिलेख में किया जा चुका है एवं हनुमानदास के नाऔलाद फौत हो जाने से खसरा नंबर 707 जिसके हाल नंबर 1664/1111 बने है उनके उत्तराधिकारी के नाम अंकित हो गई है । विवाद केवल साबिक खसरा नंबर 698 हाल खसरा नंबर 1102 व 1103 रकबा 1—14—00 व साबिक खसरा नंबर 706 जिसके हाल खसरा नंबर 1113 रकबा 2—11—00 बीघा का ही है क्योंकि इन्हीं खसरा नंबरान की आराजी अकेले सुखदेव के नाम अंकित करवा ली गई जबकि वादग्रस्त आराजी खसरा नंबर 707 जिसके हाल खसरा नंबर 1664/1113 बने है सभी वादीगण व प्रतिवादीगण के नाम दर्ज हुई । वादग्रस्त आराजियात का कभी विभाजन न तो वादीगण के पूर्वज न ही प्रतिवादी संख्या 1 से 4 के पूर्वज के मध्य सीमांकन द्वारा नहीं हुआ है । समस्त वादग्रस्त आराजियत के हाल खसरा नंबर 1164/1113 में वादी

सख्या 2 से 4 का 1/2 हिस्सा, व खसरा नंबर 1113 में 1/4 हिस्सा व खसा नंबर 1664/1113 व खसरा नंबर 1113 में वादी संख्या 1 का 1/4 हिस्सा व प्रतिवादी संख्या 5 का 1/4 हिस्सा ही रह गया है । अब वादीगण वादग्रस्त आराजी को शामलात में नहीं रखना चाहते है व सदैव अच्छे व बुरे व कमी–ज्यादा को लेकर विवाद होता रहता है । अतः वाद वादीगण स्वीकार वाद में चाहे अनुसार डिक्री पारित की जावे ।

3. वादपत्र प्रस्तुत होने पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया । प्रतिवादी संख्या 1 से 4 ने जवाबदावा मय काउन्टर क्लेम प्रस्तुत कर वादीगण के वाद को नकारा । तत्पश्चात् अधी0न्याया0 ने अपने निर्णय व डिक्री दिनांक 29.5.2017 द्वारा वादीगण/अपीलांटस का वाद एवं प्रतिवादीगण का काउन्टर क्लेम निरस्त करने के आदेश पारित किये । अधी0न्याया0 के इस निर्णय व डिक्री से असंतुष्ट होकर अपीलांटस ने यह अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की है ।

4. अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पो0 को तलब किया गया । रेस्पो0 के बावजूद सूचना के अनुपस्थित रहे । अधी0न्याया0 का रिकार्ड प्राप्त होने के उपरांत अभिभाषक अपीलांटस की बहस सुनी गई ।

5. विद्वान अभिभाषक अपीलांटस ने अपीलमीमों में उल्लेखित तथ्यों की ताईद करते हुए बहस में कथन किया कि अपीलांटस का वाद अधी0न्याया0 में जिरह हेतु नियत था इसके बावजूद अधी0न्याया0 ने प्रकरण को कैम्प में रखकर अपीलांटस को साक्ष्य का अवसर दिये बिना मनमाने रूप से बिना बहस सुने निर्णय व डिक्री पारित की है । राजस्व कैम्पों में विधिनुसार वे ही मामले निस्तारित किये जा सकते थे जो कि लोक अदालत की भावना से पक्षकार सहमत हो, किन्तु प्रस्तुत प्रकरण में तो पक्षकारान सहमत ही नहीं थे । विद्वान वकील अपीलांटस ने बहस में आगे कथन किया कि अधी0न्याया0 ने वादीगण का वाद खारिज करने का आधार यह लिया है कि वादीगण व प्रतिवादी संख्या 1 से 4 के पूर्वज रणछोड़दास पुत्र इन्द्रदास कौम साधु ताबेमरजी शामलात 1350 फसली खतौनी जमाबंदी दर्ज होना पाया गया । अधी0न्याया0 नेयह निष्कर्ष मनमर्जी से लिया है जबकि एक खातेदार की मृत्यु के बाद उसकी सभी संताने बहिस्से बराबर राजस्व अभिलेख में अंकन होना चाहिये किन्तु ऐसा नहीं हुआ जिससे यह वाद प्रस्तुत करना पड़ा है । अधी0न्याया0 ने तनकी संख्या 1 व 2 वादीगण के विरूद्ध तय करने में भूल की है क्योंकि इस बाबत् आवश्यक दस्तावेजी व मौखिक साक्ष्य पेश की थी जिसका खण्डन प्रतिवादी द्वारा नहीं किया गया ऐसी अखण्डित साक्ष्य को अधी0न्याया0 ने नहीं मानकर त्रुटि कारित की है । अधी0न्याया0 ने पक्षकारान को साक्ष्य एवं सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान किये बिना अपीलाधीन निर्णय व डिक्री पारित किया है जिसे विधिसम्मत् नहीं माना जा सकता है । अतः अपील अपीलांटस स्वीकार कर प्रकरण अधी0न्याया0 को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जावे कि पक्षकारान को समुचित सुनवाई का अवसर प्रदान कर वाद को गुणावगुण पर निर्णित करे ।

6. हमनें अपीलांटस के विद्वान अभिभाषक की एकपक्षीय बहस पर मनन किया एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों तथा अधी0न्याया0 के निर्णय का अवलोकन किया । पत्रावली के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि अधी0न्याया0 के समक्ष वादीगण/अपीलांटस द्वारा वाद प्रस्तुत करने के उपरांत प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया जिस पर प्रतिवादीगण ने अधी0न्याया0 में उपस्थित होकर जवाबदावा मय काउन्टर क्लेम पेश किया। अपीलांटस का कथन रहा है कि अधी0न्याया0 के समक्ष वादीगण का वाद जिरह में विचाराधीन था इसके बावजूद अधी0न्याया0 ने प्रकरण दिनांक 29.5.2017 को राजस्व कैम्प में रखकर अपीलांटस अभिभाषक को साक्ष्य एवं सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान किये बिना

अपीलाधीन निर्णय व डिक्री पारित की है । अधी0न्याया0 की आदेशिका दिनांक 29.5.2017 के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि उक्त दिनांक को पक्षकारान को उपस्थित दर्शाते हुए पक्षकारान का सुना जाना अंकित किया है किन्तु उक्त दिनांक को पक्षकारान के अभिभाषक की उपस्थिति आदेशिका में कहीं भी अंकित नहीं है । जिससे यह स्पष्ट है कि अधी0न्याया0 ने अपीलांटस के अभिभाषक को साक्ष्य एवं सुनवाई का अवसर प्रदान नहीं कर मात्र पक्षकारान की उपस्थिति में प्रकरण को उसी दिन निर्णित किया है जिससे यह नहीं माना जा सकता कि अधी0न्याया0 ने पक्षकारान को साक्ष्य एवं सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान किया हो। अधी0न्याया0 द्वारा पारित निर्णय व डिक्री नैसर्गिक न्याय के सिद्धांतों के विपरीत होने से निरस्त योग्य पाय जाता है । उपरोक्त विवेचन के क्रम में अपील अपीलांटस आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है तथा अधी0न्याया0 का निर्णय व डिक्री दिनांक 29.5.2017 अपास्त योग्य होकर प्रकरण अधी0न्याया0 को प्रतिप्रेषित किये जाने योग्य पाया जाता है ।

7. अतः अपील अपील अपीलांटस आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है तथा विद्वान सहायक कलक्टर, ब्यावर द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 29. 5.2017 निरस्त किया जाता है तथा प्रकरण अधी0न्याया0 को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वे पक्षकारान को जिरह एवं साक्ष्य का समुचित अवसर प्रदान कर उभयपक्ष अभिभाषकगण को सुनकर वाद को गुणावगुण पर निर्णित करे ।

(बी0एल0मेहरड़ा)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर

8. निर्णय आज दिनांक 31.12.2018 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया ।

(बी0एल0मेहरड़ा)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर